न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 40 / 2009

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 नृसिंह लाल उम्र 68 साल पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 मु0 आनी बेवाह जोराराम उम्र 90 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 हरबक्सा पुत्र भूराराम।
2 गीगाराम पुत्र भूराराम।
3 मुरली बेवा भगवान सहाय।
4 रामगोपाल पुत्र भगवान सहाय समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम गोवटी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 सन्तोष पुत्री भगवान सहाय पत्नी बलबीर सिंह जाति जाट निवासीगण सीतारामपुरा वाया गोवन्दगढ़ तहसील चौमू जिला जयपुर।
6 सुरज्ञान पुत्री भगवान सहाय पत्नी रूघवीर सिंह जाति जाट निवासी सीतारामपुरा वाया गोविन्दगढ़ तहसील चौमू जिला जयपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

7 सुशीला पुत्री भगवान सहाय पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी आभावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 शारदा पुत्री भगवान सहाय पत्नी अमित कुमार उर्फ जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी आभावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर–। सीकर प्रकरण हरबक्साराम वगैरह बनाम नृसिंहलाल वगैरह मुकदमा नम्बर 124 / 2002 दिनांक 20.02.09

उपस्थित

1. श्री विजयसिंह तंवर अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–17.12.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 124/2002 में पारित निर्णय दिनांक 20.02.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने अप्रार्थी अपीलांट के विरूद्व विचारण न्यायालय में ग्राम बरसिंहपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 346,347,348,362,363, ग्राम डुकिया की भूमि खसरा नम्बर 1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430,1431,1432,1433,1435 ग्राम गोवटी स्थिति भूमि खसरा नम्बर 93,94,738,739,96,779,780,781,782,783, 784,785,786,787,788,790,791,795से 800, 801 से 805,891,892 के सन्दर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार कर मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दस्तावेजात व राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलांटस को सुने बिना रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की है जो विधि विरूद्व है जानकारी से अन्दर मियाद अपील पेश की है। धारा 5 का आवेदन संलग्न है अपील स्वीकार की जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि सह काश्तकारी की है मौके पर सभी पक्षकार सामुहिक रूप से काश्त करते है गलत राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती एवं घोषणा के लिए वाद विचाराधीन है वाद के निर्णय से पूर्व विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलांट सारहीन है खारिज की जायें।

Laws

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित में अपीलांट का आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद सुमार की जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी प्रार्थीगण ने विवादित भूमि पैतृक होना कथन कर गलत राजस्व रिकार्ड अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होना अंकित किया है विवादित भूमि के सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय मूल वाद में होना शेष है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर विवेचन कर विवादित भूमि के सन्दर्भ में उभयपक्ष को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए विचाराधीन निर्णय से पाबंद किया है जिसे हम विधि सम्मत पाते है अत विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

17/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर